<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर</u>

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—182/2015/225 (2015/00356)

1. दामोद अग्रवाल पुत्र दीपचंद अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी 701—बी निवासी बसंत मईल स्टोन, मेरिडीयन अपार्टमेंट, बोरादेसाई रोड, अंधेरी (वेस्ट) मुम्बई ।

अपीलांटस

बनाम

1. ओमप्रकाश गोयल पुत्र देवीलाल गोयल, जाति अग्रवाल, नि0 106/162 विजयपथ, मानसरोवर, जिला जयुपर ।
2. पीयूष गोयल पुत्र ओमप्रकाश गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 106/162 विजयपथ, मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर ।
3. अनिल गोयल पुत्र देवीलाल गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 15—ए, पटेल नगर, गोलयावास, तह0 सांगानेर, जिला जयुपर ।
4. रोहित यादव पुत्र विरेन्दसिंह यादव, जाति अहीर, निवासी डी—81, श्याम—नगर विस्तार सोडाला, जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 8.10.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 107/2012.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील अपीलांट ।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—28.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 7.10.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा संख्या 788, 789, 818, 819, 839 कुल किता 6 कुल रकबा 3.41 है0 वाके ग्राम उगरियावास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का खातेदार अपीलांट है। रेस्पोडेंटस के खाते की आराजियात खसरा नंबर 790, 791, 799 कुल किता 3 कुल रकबा 2.01 है0 है । रेस्पोडेंटस ने अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नया मार्ग खोलने के लिये अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया तथा निवेदन किया कि 12 मीटर चौड़ा व 57 मीटर लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 8.10.2014 द्वारा रेस्पोडेंटस का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने 12 मीटर चौड़ा नया मार्ग कायम कर अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर कार्यवाही की है । विधि में केवल अधिकतम 30 फ़ीट तक ही मार्ग दिये जाने का प्रावधान है । अधी0न्याया0 ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अपीलांट की तलबी को उचित मानने में त्रुटि की है । जब अधी0न्याया0 ने स्वंय दिनांके 27.11.2012 को अदम तामील मानते हुए पुनः तलवाना पेश करने के आदेश कर दिये थे और कोई तलवाना पेश नहीं हुआ तो दिनांक 8.10.2014 को दो वर्ष पूर्व प्रस्तुत रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीद जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई थी एवं स्वंय ने अदम तामील माना था, के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी जो दिनांक 28.12.2014 को प्रस्तुत की गई पर स्वंय पीठासीन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट अधिनियम के प्रावधानानुसार नही मानते हुए पुनः रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दिये थे परन्तु उसी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । धारा 251–ए में केवल मात्र उसी परिस्थिति में नवीन मार्ग खोलने का प्रावधान है जब कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हो एवं मार्ग भी जो लघुतम हो वही दिये जाने का प्रावधान है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा लघुतम दूरी का वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी अपीलांट की खातेदारी की आराजियात में से नवीन मार्ग खोलने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा में पारित किया है जिससे समय पर जानकारी नही हो सकी थी । जानकारी होने पर अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । ।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.11.2012 को अपीलांट के नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर पुनः तलवाना पेश करने के आदेश दिये थे किन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई तलवाना पेश नहीं किया गया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.10.2014 को दो वर्ष पूर्व प्रस्तुत रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीद जिसकी पावती भी प्राप्त नहीं हुई थी एवं स्वंय ने अदम तामील माना था, उसी के आधार पर अपीलांट की तामील मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई थी जो दिनांक 28.12.2014 को प्राप्त हुई किन्तु अधी0न्याया0 ने इस मौका रिपोर्ट को धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार नहीं मानते हुए पुनः रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश पारित किये थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने नवीन रिपोर्ट प्राप्त किये बगैर दिनांक दिनांक 28.12.2014 के आधार पर

निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 30 फीट चौडा मार्ग दिये जाने का प्रावधान है किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में 12 मीटर चौड़ा मार्ग दिये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.10.2014 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के कम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तहसीलदार से विवादित रास्ते के संबंध में नवीन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर